(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री आनन्दीलाल

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 40 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो।	
21.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या का कथन है कि वह राणी सती मन्दिर के पास झुन्झुनू में राजधानी फ्लोर एण्ड दाल मिल चलाता है जहां वह आटा तथा मसाले पिस कर बेचान करता है। अनावेदक की मिल से लिये गये सेम्पल में थोड़ी सी कमी पाई गई है। उसने कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1438/एक्ट/2022/1449 दिनांक 13.04.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) सबस्टैण्डर्ड (Sub-standard Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी मिल राजधानी फ्लोर एण्ड दाल मिल में मिर्च पाउडर स्वयं तैयार करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-standard Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री आनन्दी लाल, मै0 राजधानी फ्लोर एण्ड दाल मिल, राणी सती मन्दिर के पास, झुन्झुनू निवासी वार्ड नम्बर 43 छिपियों की ढाणी, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 3000/– तीन हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त [illegible] मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य [illegible] एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.10.06 11:26:12 IST Reason: SelfAttested अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू	महेश गुप्ता